न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

साहुन बनाम खुर्शीद

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.10.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ख0नं0 160 रकबा 0.59हे0, 161 रकबा 0.39हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.98हे0 ग्राम दयालपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर तथा ख0 नं0 619 रकबा 0.15हे0, 84 रकबा 1.54हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69हे0 ग्राम किशनगढबास तह0 किशनगढबास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.10.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
12-10-22	वकील पक्षकारान उप० । अप्रार्थीगण । लगा 10 की ओर से जवाब पेश किया गया शा० मि० हो। वास्ते बहस T.I दिनांक 19-10-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

19-10-22 वकील पक्षकारान उप० । वास्ते बहस T.I दिनांक 9-11-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

९-११-२२ — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक १४-११-२२ को पेश हो।

१४-११-२२ — पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ~~[illegible]~~ ता फैसला दावा स्थगित किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर शामिल किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर कामिल [illegible] मुलतवी रहे।